"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2017—फाल्गुन 26, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2017

क्रमांक ई-1-1-2017/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983), अपर मुख्य सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

2. श्री एस. के. कुजूर, भा.प्र.से. (1986), अपर मुख्य सचिव, ग्रामोद्योग विभाग तथा राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

3. श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

4. सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भा.प्र.से. (2003), संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्रमांक/1349/एफ-20/04/2014/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 230/952/14-1, दिनांक 09 जनवरी, 1969, को संशोाित करते हुए, एतद्द्वारा, घोषित करती है कि निम्नलिखित स्थान, जिसमें समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, जिसके लिये इस विभाग की अधिसूचना क्र. 228/958/14-1, दिनांक 09 जनवरी, 1969, द्वारा मण्डी स्थापित की गई है, किसान/उपभोक्ता उप-मंडी प्रांगण होगा, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम बेमेतरा, तहसील बेमेतरा, जिला बेमेतरा का खसरा क्र. 1176/1, 1176/3, 1176/4, 1176/5, 1176/6, 1181/2, 1182/3, 1184, 1185/1 का भाग, 1186, 1187/3, 1188/4 की लगभग 14.00 एकड़ क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार है :—

1. उत्तर दिशा में — पंजाबी पारा क्षेत्र.
2. दक्षिण दिशा में — गंजपारा क्षेत्र.
3. पूर्व दिशा में — बेमेतरा से रायपुर राजमार्ग.
4. पश्चिम दिशा में — मंडी का शेष क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्रमांक/1349/एफ-20/04/2014/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1349/एफ-20/04/2014/14-2 रायपुर, दिनांक 20-02-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Raipur the 20th February 2017

No./1349/F-20/04/2014/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, by amending this department's Notification No. 230/952/14-1, dated 09th January, 1969 hereby, declares that the following places including all structures, enclosures, open place or locality shall be Farmer/Consumer sub-market yard form which a market has been established by this Department's Notificaion No. 228-958/14-1, dated 09th January, 1969, namely :—

PALCE

Boundaries of an area about 14.00 Acre of Khasra Nos. 1176/1, 1176/3, 1176/4, 1176/5, 1176/6, 1181/2, 1182/3, 1184 part of 1185/1, 1186, 1187/3, 1188/4 at Village Bemetara, Tehsil Bemetara, District Bemetara are as under ;—

1. In North side — Panjabipara area
2. In South side — Ganjpara area
3. In East side — Bemetara to Raipur Highway
4. In West side — Remaining area of Mandi

By order and in the name of the Governer of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक/1633/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15/3/99/14-3, दिनांक 15 मार्च, 2000 में आंशिक संशोधन करती है तथा मंडी क्षेत्र में राज्य के बाहर से लायी गई ऐसी अधिसूचित कृषि उपज (आयातित सामग्री) पर प्रत्येक 100 रुपये पर रु. 0.50 (पचास पैसे) की दर से, मार्च 2018 तक मंडी शुल्क नियत करती है.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक/1633/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1633/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 रायपुर, दिनांक 25-02-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Raipur the 25th February 2017

No./1633/D-15/116/part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, partly amends this departments Notification No. D-15/3/99/14-3, dated 15th March, 2000 and fix the market fees at the rate of Rs. 0.50 (Fifty paise) per 100 Rupees on such notified agricultural produce (imported commodities) brought from the outside the State into the market area till March, 2018.

This notification shall be effective from the date of publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक/1635/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन, प्रसंस्करण हेतु केन्द्र/राज्य अर्द्ध-शासकीय निकायों अथवा व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से लाये गये दलहन, तिलहन एवं गेहूं पर 01-04-2017 से मार्च, 2018 तक, मण्डी शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

क्रमांक/1635/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1635/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 रायपुर, दिनांक 25-02-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Raipur the 25th February 2017

No./1635/D-15/116/part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempts market fees in whole on pulses, oilseeds and wheat brought from other States by the Central/State Semi-Government Bodies or businessman for processing under sub-section (1) of Section 19 of the said Act from 01-04-2017 till March, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 4-5/2008/11/6.—छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, की धारा-43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम 1998, के नियम-4 के अंतर्गत देय शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची
(नियम 4 देखिये फीस)

क्र. (1)	विवरण (2)	शुल्क (3)
1.	धारा-7 के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण	रुपये 5000.00
2.	धारा-7 के अधीन महिला मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	रुपये 1000.00
3.	धारा-7 के अधीन नवयुवक मण्डल का रजिस्ट्रीकरण	रुपये 1000.00
4.	धारा-7 के अधीन महिला स्व सहायता समूह का रजिस्ट्रकरण	रुपये 500.00
5.	धारा-10 के अधीन प्रत्येक संशोधन हेतु	रुपये 1000.00
6.	धारा-21 की उपधारा (3) के अधीन (क) उपधारा (1) अधीन आवेदन—	
	अ. क्रय के लिए अनुज्ञा हेतु	क्रय मूल्य अथवा शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का मूल्य, जो भी अधिक हो, का 2 प्रतिशत.
	ब. विक्रय के लिये अनुज्ञा हेतु	विक्रय का मूल्य अथा शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का मूल्य, जो भी अधिक हों, का 5 प्रतिशत.
	स. प्रत्येक दान के लिये	रुपये 25,000.00
	द. धारा-21 की उपधारा-2, के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्यथा उपयोग हेतु.	रेखांक (प्लान) की लागत का 10 प्रतिशत या रुपये 50,000.00 इसमें से जो भी अधिक हो,
	ई. भूमि लीज पर लेने हेतु	प्रीमियम का 2 प्रतिशत
	फ. भूमि लीज पर देने हेतु	प्रीमियम मूल्य का 5 प्रतिशत
	ज. भूमि बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने की अनुमति	शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मूल्य का 5 प्रतिशत.

(1)	(2)	(3)
7.	धारा–27 के अधीन विवरणी प्रतिवर्ष	रुपये 1000.00
8.	धारा–28 के संपरीक्षित विवरण	रुपये 1000.00
9.	धारा–29 के अधीन प्रतियां	अ. रुपये 20.00 प्रति पृष्ठ सामान्य,
		ब. रुपये 40.00 प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक,
		स. रुपये 100.00 निरीक्षण प्रति रजिस्टर,
		द. रुपये 100.00 निरीक्षण विवरणी/मूल फाईलें.

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक-एम.पी./3522 को दिनांक 23-02-2017 से 30-04-2017 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रुप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्रमांक 77/एफ 2017-02-01299/वित्त/नियम/चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, भाग-2 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त संहिता में,—

परिशिष्ट-6 के नियम 48 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"48. अकिंचन के दफन/दाह संस्कार (अंत्येष्टि) हेतु व्यय.—अकिंचनों के दफन/दाह संस्कार (अंत्येष्टि) हेतु अधिकतम व्यय रु. 2000 निर्धारित किया जाता है."

No. 77/F 2017-02-01299/Finance/Rules/IV.—In eercise of the powers conferred by clause (2) Article 283 of the Constitution of Inida, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Financial Code, Volume II, namely :—

AMENDMENT

In the said Code,—

For rulr 48 of appendix-VI, the following shall be substituted, namely :—

"48. Charges for the burial/cremation of Paupers.—the maximum expenditure on the burial/cremation of paupers is laid down as Rs. 2000."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्रमांक-एफ 3-08/2016/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक-2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता हैं :—

क्र.	थाना/तह./जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है	शामिल होने वाले प्रस्तावित ग्रामों का नाम	पटवारी हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना (उन्नयन) पचपेड़ी, तह.-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर.	थाना-मस्तुरी, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर.	पचपेड़ी	42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			धुर्वाकारी	42
			बिनौरी	43
			केंवतरा	48
			सुकुलकारी	47
			बेल्हा	45
			सुलौनी	45
			जलसों	44
			भरारी	45
			भुरकुण्डा	47
			केंवटाडीह टागर	45
			विद्याडीह टांगर	46
			गोडाडीह	46
			बोहारडीह	46
			केंवटाडीह भुतहा	46
			लोहर्सी	51
			सोनसरी	51
			सोन	54
			बसंतपुर	54
			मुकुंदपुर	54
			उदईबंद	55
			अमलडीहा	55
			कुकुंर्दीकला	55
			परसोढ़ी	53
			कुकुर्दीखुर्द	55
			गोपालपुर	53
			जोधरा	52
			भिलौनी	53
			शिवटिकरी	53
			हरदी (बरसन)	50
			कुकुंर्दीकेरा	50
			मनवा	49
			रहटाटोर	49
			कोकड़ी	49
			गोबरी	41
			हरदी	41
			आमगांव	40
			आमाकोनी	40
			मचहा	39
			बहतरा	39
			गिधपुरी	39
			डोमगांव	39
			खपरी (वाहिद)	38
			ओखर	38
			मानिकचौरी	41
			भटचौरा	40
			खपरी (बेलपान)	49
			जैतपुरी	48
			सेमराडीह	48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			पताईडीह	48
			लोहराबोर	47
			चिल्हाटी	50
			चिस्दा	52
			रैल्हा	41
2.	थाना (उन्नयन) छिन्दगढ़, तह.-छिन्दगढ़ जिला-सुकमा.	थाना-सुकमा, तहसील-सुकमा जिला-सुकमा.	पोन्दुम	07
			चौपेल	07
			बिरसठपाल	08
			कांजीपानी	08
			रतिनाईकरास	08
			मुरेपाल	08
			हिकमीरास	08
			पाकेला	09
			चिपुरपाल	09
			चिकारास	09
			राजामुण्डा (वनग्राम)	09
			उदलातराई (वनग्राम)	09
			राकेल	10
			अनदुमपाल	10
			बकुलाघाट	10
			रेड्डीपाल	10
			छिन्दगढ़	11
			गुडरा	11
			धोबन पाल	11
			पुजारीपाल	11
			उरमापाल	12
			पतिनाईकरास	12
			छुर्रागट्टा	12
			गंजेनार	20
			कवासीरास	20
			कोडरीपाल	20
			कोकड़पाल	20
			मेखावाया उर्फ भोपावाड़ा	17
3.	थाना (उन्नयन) चिंतलनार, तह.-कोटा जिाल-सुकमा.	थाना-जगरगुड़ा, तहसील-कोटा जिला-सुकमा.	नागारास	12
			कोत्तापल्ली	12
			केरलापेंदा	12
			टोकनपल्ली	12
			छोटे गागूलावा	12
			चिंतलनार	06
			नरसापुरम	06
			मुकरम	09
			कोत्तागुड़ा	09
			तोगपल्ली	09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			लखापाल	09
			मोरपल्ली	07
			पेद्दागोड़केल	07
			जब्बागट्टा	07
			चिन्ना	07
			किस्टाराम	06
			कामाराम	—
			राजपेन्टा	—
			सुरपन्नगुड़ा	02
			तिम्मापूरम	02
			कुमालपाड़	06
			पेन्टाचिल्ली	—
			कुलमपाड़	—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सतीश कुमार चंद्रवंशी	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
2.	स्मिता सोनपिपरे	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव
3.	भुनेश्वर प्रसाद	मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/ विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छ.ग. तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के तहत व्याख्याता (कॉस्ट्यूम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग) प्रथम श्रेणी के पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- (ए.आई.सी.टी.ई.) एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी संस्थाओं में पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	चयनित व्याख्याता का नाम (2)	विषय (3)	पदस्थापना का स्थान (4)
1.	अंजली जैन	कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
2.	हुमिका ताम्रकार	कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का

भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-पॉलीटेक्निक) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 के नियम-13 (1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13 (2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी. नियम-13 (3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी.

(ङ) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थी को एक नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(छ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी.

(ज) चयनित अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन करने के उपरांत ही संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा.

(झ) चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-79/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-01-2017 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	01	अर्चना सिंह देव	सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी)	शास.इंजी.महा., जगदलपुर	शास.इंजी.महा. रायपुर

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42, दिनांक 28-09-2016 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 07-01-2017 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में आपसी आधार पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	31	के. सुमित्रा	व्याख्याता (कम्प्यूटर साइंस)	शास.पॉली., रायगढ़	शास. पॉली., नारायणपुर
2.	01	नेहा साहू	व्याख्याता (कम्प्यूटर साइंस)	शास.पॉली., नारायणपुर	शास.पॉली., रायगढ़

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-01-2017 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	19	टेमन लाल बारले	व्याख्याता (रसायन)	शास.पॉली., बलौदाबाजार	शास.सह शिक्षा पॉली., जगदलपुर.
2.	02	प्रियंका सिंह	व्याख्याता (रसायन)	शास.पॉली., बीजापुर	शास. पॉली., दुर्ग
3.	14	संजू सोनी	व्याख्याता (रसायन)	शास.पॉली., महासमुन्द	शास. पॉली., रायगढ़
4.	02	ललिता पाण्डेय	व्याख्याता (अंग्रेजी)	शास.पॉली., कांकेर	शास.सह शिक्षा पॉली., बिलासपुर.

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10-02-2017 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	01	अंजली जैन	व्याख्याता (कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग)	शास. कन्या पॉली., जगदलपुर.	शास.कन्या पॉली., रायपुर

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28-09-2016 के सरल क्रमांक 23 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04-10-2016 के सरल क्रमांक 02 में चयनित व्याख्याता (मेकेनिकल) शीतेश कुमार श्रीवास का नाम संशोधित कर शीतलेश कुमार श्रीवास पढ़ा जावे.

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-80/2016/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07-01-2017 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 6 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	चयनित सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	03	श्रेणी देवांगन	व्याख्याता (रसायन)	शास.पॉली., रामानुजगंज	शास.पॉली., बलौदाबाजार

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	अमलीपाली प.ह.नं. 22	0.852	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तोरना प.ह.नं. 19	0.714	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कलमा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 फरवरी 2017

क्रमांक/2071/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखैरादा
- (ग) नगर/ग्राम-नगझर, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.106 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	804/6	0.057
	804/5	0.049
योग	02	0.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 2 मार्च 2017

क्रमांक/1500/सिरपुर साडा/2017.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.) के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय ग्राम पंचायत सिरपुर/प्रदर्शनी स्थल, कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुन्द (छ.ग1) व कार्यालय सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.) एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय महासमुन्द कार्यालयों में दिनांक 23-02-2017 से 30 दिवस के लिये कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं. सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मुडियाडीह, कुहरी एवं बोरीद की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बोरीद, केडियाडीह, खिरसाली, बंदोरा, छपोराडीह एवं जलकी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम जलकी, घांसकुड़ा, बिरबिरा, कसलडीह, गुडरूडीह, पिरदा एवं खैरझिटी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम खैरझिटी, तेंदुवाही, नवागांव उर्फ मालीडीह, कुकराडीह, परसाडीह पीढ़ी, मोहकम, खड़सा सिरपुर, खमतराई, केडियाडीह, कर्राडीह, पासीद एवं मुडियाडीह की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो कार्यालय सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महासमुन्द (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जावेगा.

प्रदर्शनी स्थल : कार्यालय ग्राम पंचायत भवन, सिरपुर जिला महासमुंद.

No./1500/Sirpur SADA/T&CP/2017.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in SADA Sirpur planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 23-02-2017 during office hours in the Office of Gram Panchayat Sirpur/Exhibition Venue, Collector Office Mahasamund, District Mahasamund (C.G.) and office of the Sirpur-SADA, Mahasamund (C.G.) and office of the Assistant Director, Town and Country Planning, Mahasamund (C.G.). The limit of SADA Sirpur Planning Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of SADA Sirpur Planning Area

NORTH	:	Village Mudiyadih, Kuhri & upto Northern limit of Village-Borid.
EAST	:	Village Borid, Kediyadin, Khirsali, Bandora, Chhaporadih & upto Eastern limit of Village-Jalki.
SOUTH	:	Village Jalki, Ghanskuda, Birbira, Kasaldih, Gudrudih, Pirda & upto Southern limit of Village-Khairjhiti.
WEST	:	Village Khairjhiti, Tenduwahi, Navagaon or Malidih, Kukradih, Parsadih, Pidhi, Mohkam, Kharsa, Sirpur, Khamtarai, Kediyadih, Karradih, Pasid & upto Western limit of Village-Mudiyadih.

If theer be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to Office of the Sirpur SADA, Mahasamund (C.G.) or Exhibition Venue writing within a period of thirty days form the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or sugestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Chief Executive officer, Sirpur SADA, Mahasamund (C.G.).

Exhibition Venue : Office of the Gram Panchayat Building Sirpur, Distt.-Mahasamund (C.G.)

पुष्पेन्द्र कुमार मीणा,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th February, 2017

No. 221/Confdl./2017/II-1-2/2016.—Hon'ble Shri Justice Deepak Gupta, Chief Justice, High, Court of Chhattisgarh, ceased to perform the duties of the office of the Chief Justice of Chhattisgarh High Court with effect from February 16th 2017 (afternoon) upon appointment as Judge, Supreme Court of India vide Government of India, Ministry of Law & Justice, (Department of Justice) notification No. K. 13011/1/2017-US.I (v) dated 15-02-2017.

Bilaspur, the 17th February, 2017

No. 223/Confdl./2017/II-1-1/2009.—Hon'ble Shri Justice Pritinker Diwaker, Senior-most Judge of High Court of Chhattisgarh has assumed the charge of the office of the Chief Justice (Acting) of the High Court of Chhattisgarh on 17th of February, 2017 as per the Government of India Notification No. K. 11019/04/2017-US.II (iv) dated 16th February, 2017 issued by the Joint Secretary, Ministry of Law & Justice (Department of Justice), Jaisalmer House, 26, Man Singh Road, New Delhi.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
RAJNI DUBE, Registrar (Vigilance).

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

क्रमांक/45/दो-2-10/2015.—श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, तत्कालीन तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग वर्तमान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-12-2016 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-01-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.